प्रेस संक्षिप्त

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए (आर्थिक क्षेत्र) राजस्थान सरकार

राजस्थान सरकार के आर्थिक क्षेत्र के विभागों पर 31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन दिनांक 06/03/2020 को विधानसभा के पटल पर रख दिया गया है । यह प्रतिवेदन दो निष्पादन लेखापरीक्षाओं यथा 'सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन' और 'राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण' तथा राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन पर विषय आधारित अनुपालना लेखापरीक्षा में उल्लेखित मामलों को प्रदर्शित करता है। ईको विकास अधिभार का अनुपयोजित रहना, वन उत्पादों के कीमत की वसूली का अभाव, क्षतिपूरक वनीकरण लागत की वसूली का अभाव, प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त इस्पात का उपयोग न करने के कारण अनियमित व्यय, उचित योजना की कमी से सड़क कार्य अपूर्ण रहने तथा विभाग की लापरवाही के कारण अधिक भुगतान से संबंधित मामलें भी सामने आये है। प्रतिवेदन में सामने आए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को अग्रलिखित अनुच्छेदों में दर्शाया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण का अनुबन्ध प्रबन्धन

सार्वजनिक निर्माण विभाग में सड़क निर्माण हेतु व्यवस्थित और व्यापक योजना का अभाव था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा सड़क निर्माण के प्रस्तावों को आमतौर पर लोक-प्रतिनिधियों, स्थानीय लोगों के समूह, आदि की सिफारिश के आधार पर मंजूरी दी गई थी। परियोजना प्रस्तावों का समर्थन करने के लिए अधिकांश मामलों में सड़कों का प्राथमिकताकरण नहीं किया गया था।। विभाग के पास व्यवस्थित और उद्देश्यपूर्ण योजना को सुगम करने के लिए सड़कों का अद्यतन डेटा बेस भी नहीं था।

(अनुच्छेद 2.1.7.1)

मौजूदा सार्वजनिक निर्माण विभाग नियमावली अद्यतन नहीं है और इसके अधिकांश प्रावधान निरर्थक हो गए हैं, विभाग के पास वर्तमान में एक समेकित दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिसमें लोक निर्माण से सम्बन्धित मार्गदर्शन और जिम्मेदार प्राधिकारियों के समान उपयोग के लिए सभी सरकारी और विभागीय निर्देश हों।

(अनुच्छेद 2.1.8.3)

खण्ड महत्वपूर्ण अभिलेख जैसे कि निर्माण सारांश, निर्माण कार्यों की पंजिका, संवेदकों की खाताबही संधारित नहीं कर रहे थे।

(अनुच्छेद 2.1.9.2)

संवेदकों की सूचीबद्धता लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम और सार्वजनिक निर्माण विभाग नियमावली द्वारा संचालित होती है। लेखापरीक्षा में ऐसे मामले पाए गए जिनमें प्रावधिक सूचीबद्धता की अवधि निर्धारित दो साल की अवधि से आगे बढ़ाई गई; विभाग ने मौजूदा संवेदकों के द्वारा लगातार गलतियॉ करने पर उन्हें रोकने और / या अपंजीकरण के माध्यम से सरकार के हितों की रक्षा करने के लिए निष्पादन समीक्षा की प्रणाली स्थापित नहीं की थी। संवेदक सूचीबद्धता का रजिस्टर निर्धारित प्रारूप में नहीं रखा गया था; संवेदकों का गोपनीय रजिस्टर संधारित नहीं था।

(अनुच्छेद 2.1.10.1 से 2.1.10.3)

प्राक्कलनों को तैयार करने और मंजूरी में अनियमितता के उदाहरण देखे गए जैसे सड़कों के प्रारंभिक प्राक्कलनों को तैयार न करना, सड़क के वृत्तांत और सड़क पंजिका की अनुपलब्धता, आईआरसी विनिर्देशों के अनुसार यातायात गणना न करना, मिट्टी के कैलिफ़ोर्निया बियरिंग अनुपात (CBR) का अनुमान मूल्य तथा बेन्क्लेमैन बीम डिफ्लेक्शन तकनीक (BBDT) का आंकलन किए बिना प्राक्कलन तैयार करना। अधिक / कमी / गलत प्रावधानों वाले प्राक्कलनों तथा उन मामलों में जहां मूल्य भिन्नता के वास्तविक घटकों का प्रतिशत अनुमोदित नहीं हुआ के लिए तकनीकी स्वीकृतियां जारी की गई जिसके कारण परिहार्य / अनाधिकृत / अतिरिक्त / कम / अनियमित व्यय हुआ।

(अनुच्छेद 2.1.11.1 से 2.1.11.3)

निविदा प्रणाली में कुछ कमियां देखी गयी जैसे कि तकनीकी स्वीकृति जारी करने से पहले निविदाएं आमंत्रित की गई, प्रशासनिक स्वीकृति से पहले निविदाएं जारी की गई, निविदाओं में संशोधन जारी करने में अनियमितताएं और निविदाएं प्रस्तुत करने के लिए अपर्याप्त समय।

(अनुच्छेद 2.1.12.1 से 2.1.12.5)

असंतुलित बोली के लिए अतिरिक्त निष्पादन की गारंटी के बिना कार्य प्रदान करना और संवेदक द्वारा अनुबन्ध प्रदान/ हस्ताक्षर नहीं करने के मामले देखे गये।

(अनुच्छेद 2.1.13.1 से 2.1.13.2)

अनुबंधों के निष्पादन में कमियां दृष्टिगोचर हुई जैसे कि निर्माण कार्यक्रम प्रस्तुत न करना, संवेदक द्वारा तकनीकी कर्मचारियों की तैनाती न करना,

वैधता तारीख समाप्त होने के बाद बैंक गारंटी का नवीनीकरण नहीं होना, संवेदक द्वारा बीमा कवर उपलब्ध नहीं कराना, कामगारों के क्षतिपूरक अधिनियम के अंतर्गत श्रमिकों का पंजीकरण ना होना, मुआवजे की मांग न करना/गैर-वसूली तथा अंतिम बिल के भुगतान में देरी।

(अनुच्छेद 2.1.14.1 से 2.1.14.7)

समय-विस्तार की अनियमित स्वीकृति, केन्द्रीय सड़क निधि दिशा-निर्देशों के विचलन में अतिरिक्त/अधिक मदों की मंजूरी, मूल कार्यों की बचतों के विरूद्ध अतिरिक्त/ बचे हुए/ शेष कार्यों की मंजूरी और मूल्य भिन्नता के अधिक भुगतान के मामलों को देखा गया।

(अनुच्छेद 2.1.15.1 से 2.1.15.4)

कई खण्डों में सड़क कार्यों में गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण उचित प्रकार से नहीं किया जा रहा था। गुणवत्ता नियंत्रण परीक्षण रिपोर्टों की प्राप्ति सुनिश्चित किए बिना संवेदकों को भुगतान किया गया था।

(अनुच्छेद 2.1.16.2)

वन विभाग

राजस्थान में वन और वन्यजीवों का संरक्षण

वन खण्डों के लिए 10-वर्षीय कार्य योजना को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था, लेकिन पर्याप्त बजट प्रावधान नहीं होने के कारण, कार्य योजना को स्वरूप और भावना में लागू नहीं किया जा रहा था।

(अनुच्छेद 2.2.11.1)

विभाग द्वारा भेजे गये अधूरे प्रस्तावों के कारण ईको संवेदशनशील क्षेत्र अधिसूचित नहीं किए जा सके; इसके परिणामस्वरूप, ईको संवेदशनशील क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित नहीं किया जा सका।

(अनुच्छेद 2.2.11.2)

वन्यजीव अपराध से निपटने के लिए राज्य स्तरीय अंतर-एजेंसी समन्वय समिति और वन्यजीव अपराध नियंत्रण इकाइयों को इस तथ्य के बावजूद कि देश में पर्यावरण से सम्बन्धित अधिकतम अपराध राजस्थान में किए गए थे, राज्य में स्थापित नहीं किया गया था।

(अनुच्छेद 2.2.11.3)

यद्यपि, राज्य सरकार ने वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 35 के अन्तर्गत गजट नोटिफिकेशन जारी किया (नवम्बर 2011) जिसमें तेंदुओं और अन्य जीवों के संरक्षण के लिए कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान स्थापित करने

की सरकार की मंशा की घोषणा की गई थी लेकिन उक्त पार्क के लिए अंतिम अधिसूचना जारी नहीं की गई थी (मार्च 2018)।

(अनुच्छेद 2.2.11.4)

रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के लिए 2013 में प्रस्तुत बाघ संरक्षण योजना को अभी भी राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना था और रणथंभौर टाइगर रिज़र्व-I और रणथंभौर टाइगर रिज़र्व-II के बीच का गलियारा अभी तक पूरा नहीं हुआ था। रणथंभौर टाइगर रिज़र्व और सरिस्का टाइगर रिजर्व में स्थानीय सलाहकार समिति का गठन नहीं किया गया था। स्थानीय सलाहकार समिति की अनुपस्थिति में, पार्कों में पर्यटक गतिविधियों को विनियमित नहीं किया जा सका, जो जंगली जानवरों को परेशान करने का कारण था। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के निर्देशों के विपरीत, रणथंभौर टाइगर रिज़र्व के जोन नंबर छः से दस तक, पार्क के मुख्य क्षेत्र मानसून के मौसम में बंद नहीं थे।

(अनुच्छेद 2.2.12 से 2.2.12.6)

कोटा में अभेड़ा जैविक उद्यान के निर्माण के लिए चयनित स्थल आस-पास के क्षेत्र में कचरा डंपिंग यार्ड, औद्योगिक क्षेत्र, भारतीय सेना की फायरिंग रेंज, अनाधिकृत कच्ची बस्ती का अस्तित्व आदि के कारण अनुकूल नहीं था।

(अनुच्छेद 2.2.14)

विभाग को 2013-18 के दौरान गैर-वन गतिविधि के लिए दी गई वन भूमि के बदले में 28.17 वर्ग किलोमीटर गैर-वन भूमि प्राप्त हुई, हालांकि इसके लिए अधिसूचना अभी भी पूरी नहीं हुई है। अमलदरामद के लिए अप्रैल 1999 में लम्बित 5974.54 वर्ग किमी वन भूमि में से केवल 1218.71 वर्ग किमी (20.40 प्रतिशत) वन भूमि ही 19 वर्षों में अमलदरामद की गई थी। राजस्व मानचित्र पर मार्च 2018 तक 7145.43 वर्ग किमी अमलदरामद वन भूमि का सीमांकन होना लम्बित था। वन भूमि के सीमांकन के लिए 1,72,701 स्तम्भ अभी भी लगाये जाने हैं।

(अनुच्छेद 2.2.15.3 से 2.2.15.4)

मार्च 2018 तक, 81.91 वर्ग किलोमीटर भूमि पर अतिक्रमण से जुड़े 6,369 प्रकरण, अवैध खनन से सम्बन्धित 7,879 प्रकरण और अवैध चराई के 4,446 प्रकरण निपटान के लिए लम्बित थे।

अनुच्छेद 2.2.16.1 से 2.2.16.3)

विभाग ने गैर-वन प्रयोजन के लिए वन भूमि के परिवर्तन के बदले ₹ 26.52 करोड़ की अतिरिक्त क्षतिपूरक वनीकरण राशि की वसूली नहीं की।

(अनुच्छेद 2.2.16.6)

जल संसाधान विभाग

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम, 2000 का कार्यान्वयन

राजस्थान सिंचाई प्रणाली के प्रबन्धन में कृषकों की सहभागिता अधिनियम के कार्यान्वयन हेतु नीतियां बनाने के लिए शीर्ष समिति का गठन नहीं किया गया है। चयनित 18 खण्डों में, 867 जल उपयोगकर्ता संघों (WUAs) के लक्ष्य के विरुद्ध, 16 खण्डों में केवल 519 जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया था, जबकि दो खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघ नहीं बनाए गए थे। कई परियोजनाओं के लिए वितरण समितियों और परियोजना समितियों के गठन में महत्वपूर्ण कमी थी।

16 खण्डों में से जहां जल उपयोगकर्ता संघों का गठन किया गया था, 11 खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघ अपने अनिवार्य कार्य नहीं कर रहे थे। चयनित चार खण्डों में जल उपयोगकर्ता संघों का कामकाज असंतोषजनक था क्योंकि 2015-16 से 2017-18 के दौरान कृषकों से जल शुल्क की कुल मांग का केवल 26.26 प्रतिशत संग्रहित किया गया था। जल उपयोगकर्ता संघों में वित्तीय प्रबन्धन और लेखा प्रणाली कमजोर थी क्योंकि निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया था।

पांच साल के नियमित कार्यकाल की समाप्ति के बाद चुनाव नहीं हुए थे। विभागीय स्तर पर निगरानी प्रणाली अस्तित्व में नहीं थी। सहभागिता सिंचाई प्रबन्धन से सम्बन्धित गतिविधियों की निगरानी के लिए प्रकोष्ठ का गठन नहीं किया गया था और जल उपयोगकर्ता संघों के कामकाज का मूल्यांकन करने के लिए निष्पादन मापन मानदंड नहीं अपनाये गये थे।

(अनुच्छेद 3.1)

प्रस्तावित ईको विकास परियोजना को मंजूरी नहीं देने के कारण केवलादेव राष्ट्रीय पार्क में आने वाले पर्यटकों से प्राप्त ₹ 16.12 करोड़ की ईको विकास अधिभार की राशि अनुपयोजित रही।

(अनुच्छेद 3.2)

उत्खनन में निकले वन उत्पाद (पत्थरों) की गलत कीमत लगाने के कारण उपयोगकर्ता एजेंसी से ₹ 0.83 करोड़ की वसूली का अभाव।

(अनुच्छेद 3.3)

पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा निर्धारित शर्त का उल्लंघन करते हुए, 2380 हेक्टेयर भूमि वन विभाग के पक्ष में स्थानांतरित किये जाने की आवश्यकता के विरुद्ध केवल 419.70 हेक्टेयर राजस्व भूमि को हस्तान्तरित किया गया था। इसके अलावा, क्षतिपूरक वनीकरण के लिए राशि

₹ 34.26 करोड़ का भुगतान शहरी सुधार न्यास, कोटा से अभी प्राप्त करना है।

(अनुच्छेद 3.4)

प्राथमिक उत्पादकों से प्राप्त स्टील के उपयोग करने के विभागीय निर्देशों का उल्लंघन करते हुए, इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय निर्माताओं से स्टील की खरीद की गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 1.24 करोड़ का अनियमित व्यय हुआ। जिसके कारण निर्माण कार्यों में गुणवत्ता की कमी की संभावना थी।

(अनुच्छेद 3.5)

प्रस्तावित सड़क कार्यों को शुरू करने से पहले भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के प्रावधानों का पालन न करने के कारण अपूर्ण सड़कों पर ₹ 2.07 करोड़ का व्यय करने के बावजूद आबादी के अंतिम छोर तक सड़क संपर्क प्रदान करने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हुआ।

(अनुच्छेद 3.6)

सम्बन्धित प्राधिकारियों की लापरवाही के कारण मध्यस्थता अवार्ड के खिलाफ अपील गलत अदालत में दायर की गई, जिसके परिणामस्वरूप देरी हुई और अपील कालातीत हो गई और विभाग मामले में प्रभावी ढंग से अपना पक्ष नहीं रख सका। विभाग ने कानूनी मामले को लम्बा कर दिया जिसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹ 15.01 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया।

(अनुच्छेद 3.7)